

बयनामा

बयनामा/—रु०

मालियत/—रु०

स्टाम्प/—रु०

हम इन्द्रजीत सिंह सचदेवा (PAN No. ALFPS8175E) पुत्र स्व० श्री अवतार सिंह सचदेवा खुद व मुख्तारेआम अभिमन्यु सचदेवा (PAN No. BRQPS2015B) पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह सचदेवा एवं यश सचदेवा (PAN No. FHIPS9334B) पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह सचदेवा समस्त निवासीगण मकान संख्या 9, आवास विकास कालोनी, सिविल लाइन्स, शहर व जिला मुरादाबाद मुख्तारेआम पंजीकृत दिनांक 15-01-2015 वही सं. 4 जिल्द सं. 274 पेज सं. 303/312 क्रम सं.16 दिनांक 15-01-2015 को कार्यालय उप-निबन्धक, द्वितीय, मुरादाबाद में पंजीकृत है, एवं यूनिवर्सल एन्टरप्राइजेज (PAN No. AAHFU2856R) पंजीकृत कार्यालय एम. एम.आई.जी. बी-120,रामगंगा विहार फेस-2 एक्सटेंशन, मुरादाबाद द्वारा इसके पार्टनर वैभव अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल निवासी भवन संख्या बी-17, 18, मधुर ग्रीन विलास, रामगंगा विहार-2 शहर व जिला मुरादाबाद (विक्रेतागण) प्रथम पक्ष

एवम

श्री..... (PAN No.....) पुत्र श्री.....
.....निवासी(क्रेता) द्वितीय पक्ष
हैं।

जो कि एक कित्ता व्यवसायिक भूखण्ड संख्या रकबईवर्ग
मीटर बाबत खसरा सं० 611 ग्राम काजीपुरा, एवं ग्राम भटावली मुस्तहकम
173/1,173/2,182,183 एवं 184 तहसील व जिला मुरादाबाद जिसकी माप व
आकार संलग्न मानचित्रानुसार है, जिसमें उक्त विक्रीत आराजी को लाल रंग से
घिरा हुआ दर्शाया गया है, जो इस विलेख का अभिन्न भाग रहेगा, जिस पर

विक्रेतागण पंजीकृत बयनामा संख्या 3025/17.08.1998 बयनामा संख्या 4738/07.05.2022 एवं बयनामा संख्या 5014/20.04.2023 से मालिक, काबिज व दखील चले आते हैं। जिसकी निस्वत प्रथम पक्ष को हर इन्तकाल हाजा का हक हासिल है।

जो इस वक्त तक हर तरह के बार मिस्ल रहन, बय, हिबा, जमानत, किफालत, कुर्की, नीलाम, मुआयदाबय दीगरे, लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स कानूनी व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है। जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा दीगर कोई शख्स या खानदानी प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार से शरीक या हकदार नहीं है। लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हवास खमसा अपनी के बिना बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच व समझकर उक्त विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड को समस्त स्वत्व व अधिकारों सहित, कुल अंकन रूपये...../— जिसके आधे रूपये/— होते हैं, में बहक श्री.....

..... पुत्र श्री.....निवासी
.....(क्रेता) द्वितीय पक्ष के हाथ बिल्कुल विक्रय कर दिया और कुल विक्रय लेन—देन धनराशि प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) उपरोक्त से प्राप्त करके आज की तिथि से उक्त विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड पर उक्त द्वितीय पक्ष (क्रेता) को स्थल पर कब्जा व दखल देकर प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने अपने समान स्वामी व अधिकारी बना दिया है। आज से जो विधिक स्वत्व व अधिकार उक्त विक्रीत भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष (विक्रेता) को प्राप्त थे, वह सब और कुल स्वत्व व अधिकार उक्त विक्रीत भूखण्ड के सम्बन्ध में इस विक्रय विलेख के द्वारा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को प्राप्त हो गये हैं।

अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) अथवा प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी भी विधिक उत्तराधिकारीगण अथवा स्थानापन्नों का कोई स्वत्व व अधिकार या कोई

लेन-देन राशि उक्त विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष (क्रेता) की ओर शेष नहीं रहा है और न भविष्य में कभी होगा। अतः उक्त विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड का बदला उक्त विक्रय लेन-देन धनराशि से हो गया, जो हम पक्षगण को स्वीकार व मान्य है।

अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को स्वत्व व अधिकार है कि वे समस्त सरकारी अभिलेखों में से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम कटवाकर अपना नाम बहैसियत स्वामी अंकित करा ले और उससे जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, उपभोग उपयोग व निर्माण, विक्रय इत्यादि करे। आज की तिथि तक की समस्त विधिक देनदारियाँ का प्रथम पक्ष (विक्रेता) देनदार, जिम्मेदार व पाबन्द रहेगा। यही समस्त विधिक पाबन्दियाँ प्रथम पक्ष (विक्रेता) के विधिक उत्तराधिकारियों अथवा स्थानापन्नो पर भी लागू होंगी। विक्रेतागण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति वक्फ व कस्टोडियन, शत्रु, अर्बन सीलिंग इत्यादि सम्पत्ति नहीं है। जिसके सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध विलेख पंजीकृत नहीं हुआ है। उक्त व्यवसायिक परिसर का नक्शा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद से MBDA/LD/22-23/0435 दिनांक 16.02.2023 द्वारा स्वीकृत है। उक्त विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के कम्प्यूटर कोड सं०—..... पृ ठ सं.....के अनुसार दर/— रू० प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है, इस प्रकार विक्रीत भूखण्ड का मूल्यांकन/— रुपये होता है, जिस पर नियमानुसार रुपये/— का ई-स्टाम्प जुल्क अदा किया गया है।

उक्त विक्रय विलेख पर/— रू० का ई-स्टाम्प जिसका सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP दिनांक ई० को जारी हुआ, लगाया गया है।

अत एव यह विक्रय विलेख लिख दिया ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

चर्तुसीमाएँ विक्रीत आराजी जिसके सम्बन्ध में यह विक्रय विलेख लिखा गया है—

पूरब —

पश्चिम —

उत्तर —

दक्षिण —

मुख्तारेआम कर्ता आज की तारीख तक जीवित हैं और मुख्तारे आम आज तक निरस्त नहीं हुआ है।

तफसील वसूली—अंकन कुल मुबलिग रुपये/— में से इस प्रकार कि रुपये दिनांक प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बयनामें के पंजीकरण के पूर्व प्राप्त किये।

ह0 विक्रेता	ह0 क्रेता
साक्षी—	साक्षी—

